بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ
لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰہِ
دفتر مجلس انصاراللہ بھارت
Office Of The Majlis Ansarullah Bharat
Mohallah Ahmadiyya Qadian-143516, Distt.Gurdaspur (Punjab) INDIA

सारांश ख़ुतबा जुमः सय्यदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह अलख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ बयान फ़र्मूदा 10 जनवरी 2025, स्थान मस्जिद मुबारक, इस्लामाबाद,यू.के.

बनू फ़ज़ारह तथा अब्दुल्लाह बिन अतीक नामक सैन्य अभियानों के परिपेक्ष में सीरत-ए-नबवी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान।

Mob: 9682536974 E.mail. ansarullah@qadian.in Khulasa khutba-10.01.2025
محلہ احمدیہ قادیان-پنجاب-143516

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

امّا بعد فاعوذ باللہ من الشیطٰن الرجیم ۔ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۔

तशह्हुद तअव्वुज़ तथा सूरः फ़ातिहा तिलावत के बाद हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसरिहिल अज़ीज़ ने फ़रमाया- आँहज़रत सलल्लाहु अलैहि वसल्लम

कि पिछले ख़ुतबः से पहले आँहज़रत सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के सिराया तथा लड़ाइयों का वर्णन चल रहा था, उसमें बनू फज़ारह के सिरय्ये (अभियान) का वर्णन हो रहा था।

इतिहास में बनू फज़ारह के विरुद्ध सैन्य अभियान में एक घटना का वर्णन मिलता है, जो उम्मे फ़र्का की हत्या के विषय में है। कुछ इतिहासकारों ने इसको जिस तरह लिखा है, उससे पता चलता है कि यह वास्तविकता के अनुकूल घटना नहीं है। इस घटना का वर्णन हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीर अहमद रज़ी. ने बड़े तर्क के साथ एवं बड़े सुंदर रंग में किया है। आप रज़ी. ने लिखा कि सिरिय्या अबू बकर रज़ी. के स्थान पर इब्ने सअद ने एक ऐसे सिरिय्ये का वर्णन किया है जिसमें ज़ैद बिन हारसा रज़ी. अमीर थे, अर्थात इब्ने सअद इस सिरिय्ये में हज़रत अबू बकर रज़ी. के स्थान पर ज़ैद बिन हारसा रज़ी. को अमीर बयान करता है और इसके विस्तारण में भी कुछ थोड़ा मतभेद रखते हुए लिखता है कि यह अभियान बनू फज़ारह की निगरानी के लिए थी जो क़ुरा नामक घाटी के पास आबाद थे और जिन्होंने मुसलमानों के एक व्यापारिक दल को लूट कर उसकी सारी धन सम्पत्ति छीन ली थी। इस उग्रवादी दल की मुख्या एक वृद्ध महिला थी जिसका नाम उम्मे फ़र्का था और जो इसलाम की कट्टर दुश्मन थी। जब यह महिला इस लड़ाई में पकड़ी गई तो

ज़ैद की पार्टी के एक क़ैस नामक व्यक्ति ने उस महिला की हत्या कर दी, और इब्ने सअद इस हत्या का वर्णन इस प्रकार करता है कि उसके दोनों पाँव दो विपरीत दिशाओं में दो ऊंटों के साथ बांधे गए थे और फिर उन ऊंटों को विपरीत दिशाओं में हंकाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह महिला बीच में से चिर कर दो भागों में विभाजित हो गई और इसके बाद यह इस महिला की पुत्री सलमा बिन अकूअ को दे दी गई। यही घटना कुछ संक्षेप, विरोधाभास तथा संकेतों के साथ इब्ने इस्हाक़ ने भी बयान की है।

हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी. लिखते हैं कि यह घटना पूर्णतः असत्य तथा निराधार है तथा बुद्धि एवं साक्ष्य दोनों प्रकार से इसका बनावटी होना साबित है। बुद्धि के मापदंड पर तो यह जानना चाहिए कि एक महिला को जिस पर हत्या का आरोप नहीं है, बन्दी बनाकर विश्राम के क्षणों में वध करना तथा फिर वद्ध भी ऐसी रीति से करना जो इस रिवायत में बयान किया गया है, यह तो एक दूर की कौड़ी है, इसलाम तो युद्ध के मैदान में भी महिला की हत्या को सख्ती के साथ रोकता है। इसके विषय में आँहज़रत स. ने कई बार स्पष्ट किया है कि महिलाओं का वद्ध नहीं करना। अतः हदीस में आता है कि एक अवसर पर युद्ध के मैदान में किसी दुश्मन क़बीले की एक महिला मृत दशा में पाई गई तो बावजूद इसके कि यह पता नहीं था कि यह महिला किन परिस्थितियों में और किसके हाथों मारी गई है, आप स. उसे देखकर बड़े नाराज़ हुए और सहाबा रज़ी. को सावधान किया कि ऐसा काम फिर नहीं होना चाहिए। इसी तरह जब कभी आँहज़रत स. कोई दल रवाना फ़रमाते थे तो अन्य नसीहतों के साथ साथ सहाबीयों रज़ी. को यह भी नसीहत फ़रमाते थे कि किसी बच्चे एवं महिला की हत्या नहीं करनी।

इन मूल निर्देशों के होते हुए सहाबा रज़ी. के सम्बन्ध में, और सहाबियों में से भी ज़ैद बिन हारसा रज़ी के विषय में, जो कि आँहज़रत स. के घर सदस्यों के समान थे, यह मान लेना कि उन्होंने किसी महिला को इस तरीक़े से मारा अथवा हत्या करवाई थी, जो इब्ने सअद ने बयान किया है, कदाचित स्वीकार नहीं किया जा सकता। निःसन्देह रिवायत में हत्या करने की क्रिया को ज़ैद से नहीं जोड़ा गया बल्कि एक अन्य मुसलमान का नाम लिया गया है, किन्तु जबकि यह घटना ज़ैद के नेतृत्व में हुई तो इस प्रकार इसका अंततः दायित्व भी ज़ैद पर ही समझा जाएगा और ज़ैद के विषय में यह समझना कि उन्होंने आँहज़रत स. के निर्देशों को जानते हुए इस प्रकार के काम की आज्ञा दी होगी, कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अब रहा इस घटना को लिखने की शैली, तो पहली बात तो यह है कि इब्ने सअद अथवा इब्ने इस्हाक़ ने इस रिवायत का कोई प्रमाण नहीं दिया और बिना किसी ठोस प्रमाण के इस प्रकार की रिवायत जो आँहज़रत स. के स्पस्ट आदेश और सहाबियों के सामान्य एवं प्रचलित तरीक़े के विरुद्ध हो, कदाचित क़बूल नहीं किया जा सकता। दूसरे यह कि यही घटना हदीस की अत्यन्त प्रमाणिक पुस्तक सही मुस्लिम तथा सुनन अबू दाऊद में बयान हुई है, परन्तु इसमें उम्मे फ़र्का की हत्या किये जाने का बिलकुल कोई वर्णन नहीं है और कुछ अन्य विवरणों में भी इस बयान को इब्ने सअद इत्यादि के बयान से भिन्न कहा है।

और चूंकि सही हदीसें, साधारण ऐतिहासिक वर्णनों से निश्चित ही तथा प्रमाणों सहित अत्यधिक् सुदृढ़ एवं विश्वसनीय होती हैं इस लिए सही मुस्लिम और सुनन अबू दाऊद के बयानों के सामने इब्ने सअद इत्यादि की रिवायत कोई प्रभाव नहीं रखती, यह भेद और भी स्पष्ट हो जाता है जब हम इस बात को सम्मुख रखें कि जहाँ इब्ने सअद और इब्ने इस्हाक़ ने अपनी रिवायतों को यूंही बिना प्रमाण के बयान किया है, वहां इमाम मुस्लिम और अबू दाऊद ने अपनी रिवायतों के पूरे प्रमाण जुटाए हैं, और वैसे भी हदीसविदों की सावधानी के मुक़ाबले में, जिन्होंने अत्यन्त सावधानी से काम लिया, इतिहासकारों की साधारण रिवायतें कोई मूल्य नहीं रखती। इसलिए इस बात में कदापि कोई सन्देह नहीं रहता कि उम्मे क़र्फा के क्रूर वध की घटना एक पूर्णतः असत्य एवं निराधार घटना है जो किसी इसलाम के गुप्त दुश्मन और मुनाफ़िक़ के षडयन्त्र से कुछ ऐतिहासिक वृत्तांतों में सम्मिलित हो गया और सत्य यह है कि इस सिरिय्ये का यथार्थ इससे बढ़ कर कुछ भी नहीं जो मुस्लिम और अबू दाऊद ने बयान किया है।

एक सिरिय्या अब्दुल्लाह बिन अतीक नामक है, इसका इतिहास में वर्णन मिलता है, जो अबू राफ़े की ओर था। इब्ने सअद ने बयान किया है कि यह सिरिय्या 6 हिजरी में हुआ।

इसके विस्तारण में हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी. फ़रमाते हैं कि जिन यहूदी प्रमुखों की भड़काऊ योजनाओं तथा दुष्ट व्यवहार के कारण 5 हिजरी में मुसलमानों के विरुद्ध एह्ज़ाब नामक युद्ध का फ़ितना बरपा हुआ था, उनमें से हय्यी बिन अख़तब तो बनू क़ुरैज़ा के साथ अपने अंजाम को पहुँच चुका था परन्तु सलाम बिन अबिलहक़ीक़, जिसका उपनाम अबू राफ़े था, अभी तक खैबर के इलाक़े में उसी तरह आज़ाद और फ़ितने फैलाने में व्यस्त था, बल्कि एह्ज़ाब के युद्ध में अपमान जनक असफलता और फिर बनू क़ुरैज़ा के भयानक परिणाम ने उसकी शत्रुता को और भी अधिक कर दिया था और चूंकि गतफान के क़बीलों का निवास खैबर के निकट था और खैबर के यहूदी और नजद के क़बीले आपस में पड़ौसियों के समान थे, इसलिए अब अबू राफ़े ने, जो एक अत्यधिक बड़ा व्यापारी एवं धनवान पुरुष था, उसने प्रथा बना ली थी कि नजद के वहशी तथा योद्धा क़बीलों को मुसलमानों के विरुद्ध उकसाता रहता था और रसूलुल्लाह स. की दुश्मनी में वह कअब बिन अशरफ़ के समरूप था। अबू राफ़े ने यह युक्ति बनाई कि एह्ज़ाब नामक युद्ध की भाँती नजद के गतफ़ानी क़बीले तथा अन्य क़बीलों का फिर एक दौरा करना शुरू किया और मुसलमानों को नष्ट करने के लिए एक महान सेना के रूप में जमा करना शुरू कर दिया। जब यह स्थिति हो गई और मुसलमानों की आँखों के सामने फिर वही एह्ज़ाब वाले दृश्य फिरने लग गए तो आँहज़रत सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को सोचते हुए कि देश में अत्यधिक रक्तपात के बजाए एक दुष्ट एवं उपद्रवी आदमी का मारा जाना उचित है, अब्दुल्लाह बिन अतीक अंसारी के नेतृत्व में चार खिज़रजी सहाबियों को अबू राफ़े की ओर रवाना फ़रमाया, किन्तु चलते हुए निर्देश दिया कि देखना किसी महिला अथवा बच्चे को कदाचित नहीं मारना। अतएव 6 हिजरी के रमज़ान के महीने में यह पार्टी रवाना हुई तथा अत्यन्त सावधानी के साथ अपना काम करके वापस आ गई और इस प्रकार इस दुविधा के बादल मदीने से टल गए।

अबू राफ़े की हत्या के बाद उसके किले में स्थित मकान की सीढ़ियां जल्दी जल्दी उतरते हुए अब्दुल्लाह बिन अतीक की पिंडली टूट गई (और एक रिवायत में यूं है कि पिंडली का जोड़ उतर गया) उनका अपना बयान है कि फिर हमने मदीने में आकर आँहज़रत सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू राफ़े की हत्या की सूचना दी। आप स. ने पूरी घटना सुनकर मुझे इरशाद फ़रमाया कि अपना पांव आगे करो, मैंने पांव आगे किया तो आप स. ने दुआ मांगते हुए इस पर अपना पवित्र हाथ फेरा, जिसके बाद मैंने ऐसा अनुभव किया कि जैसे मेरी पिंडली में कोई पीड़ा हुई ही नहीं थी।

हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी. लिखते हैं कि अबू राफ़े की हत्या के औचत्य के विषय में हमें इस जगह किसी विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं। अबू राफ़े की रक्त रंजित गतिविधियां इतिहास का एक खुला हुआ पृष्ट है। इन अवस्थाओं में सहाबीयों ने जो कुछ किया वो बिलकुल उचित एवं न्याय संगत था और युद्ध की अवस्था में जबकि एक क़ौम जीवन और मृत्यु की आशंका में समय व्यतीत कर रही हो, इस प्रकार की योजनाएं पूर्णतः वैधानिक समझी जाती हैं तथा हर क़ौम एवं हर एक समुदाय इन्हें आवश्यकतानुसार हर एक ज़माने में धारण करती रही है। किन्तु खेद है कि वर्तमान नैतिक दिवालिया ज़माने में दोषी के साथ सहानुभूति की भावना इतनी अनुचित सीमा तक पहुँच गई है कि एक अत्याचारी भी हीरो बन जाता है और वह दंड जो वह अपने दोषों के कारण पाता है, जनता की सहानुभूति का आकर्षण होने लगती है तथा उसके दोष लोग भूल जाते हैं। परन्तु इसलाम के सम्बन्ध में हमें ज्ञात है कि वह इन झूठी भावनाओं का धर्म नहीं है। वह दोषी को दोषी घोषित करने की शिक्षा देता है तथा उसके दंड को देश एवं समाज के लिए रहमत समझता है। वह एक सड़े हुए अंग को शरीर से काट देने की शिक्षा देता है और इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि एक दुर्गन्ध पूर्ण अंग पूरे शरीर को ख़राब कर दे। शेष रहा दंड की रीति का सवाल, सो इसके विषय में बताया जा चुका है कि अरब देश के उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल और उस युद्ध की अवस्था को सम्मुख रखते हुए, जो उस समय मुसलमानों तथा यहूदियों के बीच छिड़ा हुआ था, जो तरीक़ा अपनाया गया, शान्ति की दृष्टि से वही उचित था।

अन्त में हुज़ूरे अनवर ने इरशाद फ़रमाया कि इसकी और घटनाएँ भी हैं, शेष इंशाल्लाह आगे बयान होंगी।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

हिन्दी अनुवाद को अधिक सुन्दर बनाने हेतु सुझाव का स्वागत है, सम्पर्क अनुवादक- 9781831652

टोल फ्री नम्बर अहमदिय्या मुस्लिम जमात, पंजाब- 18001032131